



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग, करौली कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं 14, करौली

E-Mail- DLO.KAR@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक : सान्ध्या.अ.वि./2026/ 3517

दिनांक : 27/01/26

ई-निविदा - 03/2025-26

श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय सान्ध्यावि राजस्थान जयपुर के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ7(2)(9)(2474)Part-2/रा.छा./ब.आ./सान्ध्या.वि./2024 के राजकाज रेफरेन्स नम्बर 19517004 द्वारा करौली जिले में विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेर्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर एवं रसोई के बर्तन आदि) क्रय किये जाने हैं।

अतः इच्छुक रजिस्टर्ड बोनाफाईड विनिर्माता/फर्म/संस्था/कंपनी/एजेन्सी से निम्नलिखित सामग्री क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 या निर्देशानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है –

S.No.	Items	Estimated Cost	Bid Fees Document	RISL Processing Fee	Earnest Money
1.	करौली जिले में विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों में अनावर्तक (पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेर्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट, चद्दर एवं रसोई के बर्तन आदि) क्रय एवं आपूर्ति दर संविदा	15.80 lakh	Rs 500/- (online challan to DPSW, SJED KARAUJI)	Rs 500/- (online challan to MD RISL JAIPUR)	Bank DD of Rs. 31600/- to DPSW, SJED KARAUJI

Bidding Schedule

Sr.No.	Subject	Date	Time
1.	e-publishing Date	27.01.2026	05:00 PM
2.	Document Download Start Date	27.01.2026	05:00 PM
3.	Document Download End Date	06.02.2026	10:00 AM
4.	Bid Submission End Date	06.02.2026	12:00 PM
5.	Online Submission of Tender Fee and Processing Fee Challan (THROUGH E GRAS SINGLE CHALLAN) and SD, A copy must be submitted physically at office.	06.02.2026	03:00 PM
6.	Technical Bid Opening Date	06.01.2026	05:00 PM

ई-दर संविदा संबंधी शर्त एवं ई-दर संविदा प्रपत्र sppp.rajasthan.gov.in, <https://eproc.rajasthan.gov.in> & पर विभागीय वेबसाईट <https://sje.rajasthan.gov.in> से भी कावृदसंकं किये जा सकते हैं।

NIB →
No. SOC2526A0320

No. SOC2526JLRC0351
UBN

3
(बबलू)

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
करौली

क्रमांक- सान्याअवि/ई- दर संविदा /2025-26 /3516-23

दिनांक:- 27/01/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राज्य रत्नरीय दैनिक समाचार पत्र में जिसकी प्रतियों की संख्या 50 हजार या अधिक हो तथा एक क्षेत्रीय स्तर के दैनिक रामाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में डीपीआर दरों पर प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
3. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान अति.निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
5. श्रीमान अति.निदेशक (आई.टी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड श्रीमान जिला कलक्टर कार्यालय/जिला परिषद/कार्यालय हाजा।

3-

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
करौली

Instructions for online submission of e-Bid

- 1- The Bidders who are interested in bidding can download Bid Documents from sppp.rajasthan.gov.in or <https://eproc.rajasthan.gov.in> or <https://sje.rajasthan.gov.in>
- 2- Bidders, who wish to participate in this Bid, will have to be registered on <http://eproc.rajasthan.gov.in>. To participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type II or III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic Bid.
- 3- Bidder will submit their offer on-line in electronic formats both for technical and financial proposals; however for Bid fees, processing fees shall be submitted manually in the office of tendering authority (District Probation and Social Welfare Officer, Social Justice and Empowerment Department, Karauli) before scheduled date & time as mentioned in NIB. Scanned copy of Challan shall be uploaded along with the online Bid.
- 4- Before electronically submitting the tenders, it shall be ensured that all the Bid papers including conditions of contract are digitally signed by the Bidder, with proper **Page numbering** each and every page .
- 5- Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Download" section for further details about the e-tendering process.
- 6- The prospective bidders if they so desire may participate in the bid to clarify the doubts in respect of bidding document before last date of submission of Bid in any working day.

Special Note:-

All Bidders are advised not to wait till last date and are advised to submit their tender/Bid at the earliest. District Probation and Social Welfare Office, Karauli will not be responsible for any last minute rush in website. No extension in deposition of Tender/Bid will be allowed.

(3m)

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग, करौली कलेक्ट्रेट कैम्पस कमरा नं 14, करौली

E-Mail- DLO.KAR@RAJASTHAN.GOV.IN

तकनीकी ई- दर संविदा प्रपत्र (बोली)

1- ई- दर संविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता, GST No-----, PAN No-----।

2- किसको सम्बोधित किया गया - जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली।

3- संदर्भ - सान्यांसवि/ई- दर संविदा 3/2025-26/ दिनांक:

4- ई- दर संविदा शुल्क की राशि 500/- चालान के द्वारा जमा करा दी गयी है।

5- हम जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली द्वारा जारी की गयी ई- दर संविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त ई- दर संविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाणस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

6- ई- दर संविदा में अंकित मर्दों की सप्लाई के लिये दरें संलग्न प्रपत्र अनुसार होंगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा, उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गयी है।

7- बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चौक / बैंक गारंटी संख्या जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है / नकद रसीद संख्या / चालान संख्या दिनांक रूपये के लिये बयान राशि/बोली प्रतिमूर्ति के पेटे संलग्न किया जाता है।

8- अमानत राशि निविदा लागत की 2 प्रतिशत का डीडी जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली के नाम से देय होगा तथा प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन ई-ग्रास से चालन द्वारा एम.डी.आर.आई.एस.एल. जयपुर (MD RISL, JAIPUR) के नाम से देय होगा जो कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, करौली में भौतिक रूप से जमा कराया जाना अनिवार्य है। इसके अभाव में तकनीकी निविदा असफल मानी जावेगी, जिसका विवरण निम्न है।

क्र०सं०	शुल्क विवरण	भुगतान का प्रकार	लेखा शीर्ष
01	निविदा प्रपत्र शुल्क 500/-रु	Online Submission of Tender Fee of Rs.500 and E-Tender Processing Fee Challan of Rs 500 (THROUGH E-GRAS SINGLE CHALLAN) A copy must be submitted physically at office on Scheduled Date and Time	0075-00-800-52-01
02	ई- दर संविदा प्रोसेसिंग शुल्क 500/-रु		8658-00-102-16-01
03	अमानत राशि 31600/-रु	A Bank Demand Draft with the Name of District Probation and Social Welfare Officer, SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT, KARAUJI, and must be submitted physically at office on Scheduled Date and Time	

करौली जिले में विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में क्रय किये जाने वाले अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गददे फॉम बेर्स्ट आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेड्जीट चद्दर इत्यादि की संख्या As per Appendix F

क्र. स.	जिला	पंलग आईरन विथ प्लाई	गददे फॉम बेर्स्ट आर्थोफाईबर	बेडशीट चद्दर	तकिये	तकिया कवर	खेस	कम्बल	दरी बेड
01	करौली	121	260	750	330	670	255	380	70

निविदा सूचना में कुल वर्णित मात्रा/संख्या पूर्णतः अनुमानित है जो कि विभागीय आदेश के तहत उपलब्ध/आवंटित बजट के अध्ययनीन रहेगी। साथ ही कुल मात्रा/संख्या में आवश्यकतानुसार कभी अथवा वृद्धि हो सकती है, जिसके लिये क्रय समिति पूर्णतः अधिकृत है, इस पर किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।

11- तकनीकी ई- दर संविदा को स्वीकार करने हेतु अनिवार्य शर्तें-

- I. निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि की डीडी।
- II. Online Submission of Tender Fee and Processing Fee Challan (THROUGH E GRAS SINGLE CHALLAN) and SD A copy must be submitted physically at office on Schedule Date and Time
- III. बिड के साथ एक्टिव GST पंजीयन प्रमाण-पत्र
- IV. नवीनतम या माह सितम्बर 2025 तक GST जमा होने के समर्थन में GST RETURN की प्रमाणित प्रति।
- V. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नं. की प्रमाणित प्रति।
- VI. क्रय किये जाने वाले अनावर्तक सामान यथा पंलग आईएन विथ प्लाई, गददे फॉम बेर्स्ड आर्थोफाईबर, दरी बैड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चद्दर इत्यादि की आपूर्ति किये जाने हेतु ई-दर संविदा सामग्री का जहां आवश्यक हो वास्तविक निर्माता होने प्रमाण पत्र या शपथ पत्र संलग्न करावें।
- VII. संलग्न परिशिष्ट- ई (Annexure-E) का राशि रु. 100- के स्टाम्प पर काली सूची (Black Listed) में नहीं होने सम्बन्धी घोषणा पत्र।
- VIII. गत 3 वर्षों का कम से कम 16 लाख का औसत वार्षिक टर्न ऑवर का सी.ए. का प्रमाण पत्र जिसमें UIDN नं० अंकित हों। Annexure I
- IX. फर्म का निविदा सामग्री का निर्धारित मानकों का ISO/ISI पंजीकृत का प्रमाण पत्र प्रति। (9001:2015 Quality Management)
- X. किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग/उपकम/कार्यालयों में गत 03 वर्षों (01 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2026 तक) में निविदा सामग्री/समकक्ष सामग्रियों के आपूर्ति का कार्यानुभव। कार्यानुभव के समर्थन में कार्यादेश एवं संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- XI. MSME Certificate (if applicable)
- XII. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956/2013 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
- XIII. बिन्दु सं. 1 से 12 तक वांछित दस्तावेज तकनीकी ई- दर संविदा के साथ इसी क्रम में पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किए जाए। अन्य अनावश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जावें।

ई- दर संविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय जिला परिवेक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग, करौली।

Details of Bidder

e-Bid Notice No. dated

1.	Name of the Firm	
2.	Telephone No.	
3.	Mobile No. Email ID	
4.	Office Address of the Firm/Co.	
5.	Address of the Shop/Office/Godown etc.	
6.	Constitution of the Firm whether Proprietorship/Partnership/Company	
a)	<u>In case of Proprietorship Firm</u> Name, Father's Name and Residential address of the Proprietor.	
b)	<u>In case of Partnership Firm</u> Name, Father's Name and Residential address of all the Partners.	
	Note: (Enclose the Registration certificate from the Registrar of Firms or its attested copy/Photocopy of Partnership Deed (attach separate sheet if space is insufficient).)	
c)	<u>In case of Company</u> i) Regd. No. of the Company	
ii)	Name and address of the Directors of the company (Attach separate sheet if space is insufficient)	
7.	<u>BANK DETAILS OF BIDDER</u> Banker's name with branch Account type Account number/IFS Code	
8.	GST Registration No. -----	

9.	PAN No. of the Bidder	
10.	MSME Registration No.(If Any)	
	Other Information/ Certificate/ Declaration (If Any)	
	*(to be filled by the Office)	
		Signature of the Bidder with Seal
		(Name _____)
		(Designation _____)

(3-2)

राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 से संबंधित शर्तें

1. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एवं संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।
2. उपापन की विषय वस्तु के लिए खुली दर संविदा बोली के द्वारा दर संविदा की जा रही है। जिसकी अवधि वर्ष 2025-26 या निर्देशानुसार के लिये होगी, किन्तु अपरिहार्य कारणों से इस अवधि को नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।
3. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों में उल्लेखित "सत्यनिष्ठा संहिता" की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
4. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की वैधता अवधि सामान्यतः 90 दिनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात जिन्होंने अवधि विस्तार हेतु सहमति जताई हो, उन्हीं बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।
5. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्त अधिरोपित कर सकेगी।
6. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।
7. अनुबंध न्यूनतम कीमत वाली या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले के साथ, उपापन की विषय वस्तु की मात्रा, स्थान और समय के लिए प्रतिबद्धता के बिना की जायेगी।
8. जब कभी आवश्यक हो उपापन की विषय वस्तु की अपेक्षित मात्रा के प्रदाय के लिए संविदाधारक फर्म को संविदाकृत कीमत पर प्रदाय का स्थान, परिदान अनुसूची इत्यादि वर्णित करते हुए प्रदाय आदेश दिया जायेगा।
9. परिसमापित नुकसानी के लिए उपबन्ध नियमानुसार लागू रहेंगे।
10. कीमत गिरने का खण्ड दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रियाविधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्म या सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट (फनवज्जम) करता है कम करता है, तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट (Quote) करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदानुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 10 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्म और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समय कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने के लिए सहमत नहीं होती है तो, उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।
11. खुली ई- दर संविदा की समस्त कार्यवाही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं समस्त संशोधनों के अनुरूप संपादित की जायेगी।
12. ई- दर संविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ई- दर संविदा दाता के हस्ताक्षर होने हैं।
13. जिस ई- दर संविदा दाता की ई- दर संविदा स्वीकार की जावेगी उसे निर्धारित प्रारूप में लिखित अनुबंध करना होगा। अनुबंध भंग करने की दशा में ई- दर संविदा दाता की सुरक्षा राशि जब्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
14. दरें FOR जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली पर होगी। दरें GST व अन्य टैक्स की दर सहित दी जावे।
15. यदि परिसमापित नुकसानी (Liquidated Damages) के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गयी हो तो प्रदाय न किये गये सामानों के लिये निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी:-

(क) विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये	2.50 प्रतिशत
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के लिये	5.00 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन घौथाई अवधि से अनाधिक के लिये	7.50 प्रतिशत
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन घौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिये	10.00 प्रतिशत

टिप्पणी:-

- (1) प्रदाय मे विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड दिया जावेगा एवं दिन से अभिप्राय कलैंडर दिन होगा ।
- (2) स्वीकार की गयी परिसमाप्त नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।
- (3) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय करने को पूरा करने के लिये समय मे वृद्धि करने को कहता है तो वह लिखित मे जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था । किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा ।
- (4) यदि माल के प्रदाय मे विलम्ब ऐसे विष के कारण हुआ हो जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि मे वृद्धि परिसमाप्त नुकसानी के साथ या उसके बिना, जैसा भी जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली द्वारा निश्चित किया जावे, कर दी जावेगी ।

16. सफल बोली दाता को विहित प्ररूप मे 500/- रु. के नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा जिसका समस्त व्यय सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा ।

नोट :- निविदा फॉर्म में टंकण की त्रुटि होने की दशा में GF&AR में वर्णित शर्तें ही अंतिम रूप में मान्य होंगी ।

३

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
करौली

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली

General term & conditions of Bid & Contract:

Important Instruction: The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012" [hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal Therefore] the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there in any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document] the provision of the Act and the Rules shall Prevail-

बिड की शर्तें

अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गददे फॉम बेर्स्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चददर, रसोई के बर्तन इत्यादि क्रय एवं आपूर्ति करने हेतु बिड की शर्तें:-

1. बिड, जो जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमति प्रदान करते हैं तथा उक्त बिड सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न प्रपत्र में दी गई हैं (जिसके समस्त पृष्ठ उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीकस्वरूप, हमने समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं) का भी पालन करने के लिये हम सहमति प्रदान करते हैं।
2. बिड के प्रत्येक आईटम आपूर्ति किये जाने हेतु निर्माता अधिकृत डीलर सदभावी संव्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिड ही स्वीकार किये जायेंगे।
3. आपूर्ति की जाने वाली सभी सामग्री और/अथवा उसमें लगने वाले/लगे हुए सभी पार्ट्स सम्बन्धित ब्रांड/कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, *Genuine and Original* ही होने चाहिये।
4. कार्यादेश की दिनांक से 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गददे फॉम बेर्स्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चददर, रसोई के बर्तन इत्यादि की आपूर्ति की जानी होगी।
5. बिड के प्रत्येक आईटम की आपूर्ति जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली निर्देशानुसार करौली में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में की जानी है।
6. खुली ई- दर संविदा दिनांक 06.02.2026 को 12:00 PM बजे तक प्राप्त की जायेंगी। विलम्ब से प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
7. तकनीकी बिड दिनांक 06.02.2026 को 05:00 PM बजे उपस्थित बिडदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली में खोली जाएगी।
8. तकनीकी बिड में सफल रहे बिडदाताओं को सूचना ईमेल/फोन या अन्य से दी जाएगी।
9. बिड के प्रत्येक आईटम में न्यूनतम मूल्य, वस्तु की गुणवत्ता, स्पेयर पार्ट्स एवं सर्विस की मार्केट में उपलब्धता के आधार पर ही अधिकतम लाभप्रद बोली दाता को प्राथमिकता दी जाकर चयन किया जाएगा अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सिर्फ न्यूनतम मूल्य ही चयन का आधार नहीं होगा।
10. सामान्यतया बिड की समस्त मदों की कुल न्यूनतम राशि एवं गुणवत्ता/स्पेयर पार्ट्स एवं सर्विस की मार्केट में उपलब्धता, के आधार पर न्यूनतम बिडदाता का निर्धारण किया जावेगा। फिर भी विभागीय उपापन समिति न्यूनतम दर वाली संविदा को स्वीकार किए जाने हेतु बाध्य नहीं है, वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को दिना कारण बताये रद्द कर सकती।
11. राजस्थान जी.एफ. एण्ड ए.आर. एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 लागू होंगे।

12. सफल बिडवाता कार्यादेश को अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा।
13. भुगतान की जाने वाली राशि में से की जाने वाली कटौतियां तथा आई.टी. टी.डी.एस., GST-TDS, नियमानुसार इत्यादि काटकर ही भुगतान किया जावेगा।
14. दरें FOR जिला परिवेक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली पर होगी। दरें GST व अन्य टैक्स की दर सहित दी जावें।
15. BOQ में दरें स्पष्ट रूप से अकित की जावें, कटिंग नहीं करें, अगर कोई कटिंग है तो पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें। (As per Annexure G)
16. ई- दर संविदा दाता को सामान की संतोषजनक सुपुर्दगी उसकी विशिष्टियों तथा ई- दर संविदा प्रपत्र के अनुरूप होने की संतुष्टि एवं निविदा सामग्री को कार्यालय के अधीनस्थ छात्रावासों में स्थापित करने के पश्चात अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने व क्रय कमटी के अनुमोदन के उपरान्त भुगतान किया जावेगा।
17. दरें अनुमोदित होने की दशा में सफल ई- दर संविदा दाता को ई- दर संविदा राशि का कुल 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। पूर्व में जमा अमानत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित की जा सकती है। अनुबंध 500/- रु के स्तराम्प पर नियत समयावधि में प्रस्तुत करना होगा।
18. समस्त विधिक कार्यवाही हेतु संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा करौली स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रवृत्त की जावेगी।
19. **वित्तीय बोलियों में अंकगणीतीय एवं शब्दों की त्रुटि का निराकरण** (Disposal of arithmetic and figures errors in financial bids) – आईटम रेट्स अंकों एवं शब्दों में ध्यान पूर्वक दी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यान पूर्वक की जावें। अंकों एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना के अन्तर होने की स्थिति में आईटम रेट पर क्वान्टिटी (Item rate per quantity) अंकों एवं शब्दों में लिखी गई में से जो शब्दों में होगी उसी को अंतिम माना जायेगा।
20. MSME बोलीदाता को बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट प्राप्त करने के लिये वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 एवं संशोधन दिनांक 29.08.2018 के अनुसार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा कोई छूट देय नहीं होगी।
21. कार्य क्षेत्र करौली जिला होगा, जिसकी सूची परिशिष्ट –एच में इस निविदा की शर्तों के साथ में दी गयी हैं। आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्देशानुसार करौली जिले में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में आवश्यकतानुसार अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चददर, रसोई के बर्तन इत्यादि क्रय एवं आपूर्ति सूची में वर्णित छात्रावासों में ही अनावर्तक सामान की आपूर्ति की जावेगी। जिस हेतु आपूर्तिकर्ता को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
22. आपूर्ति किये जाने वाले अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेस्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चददर, रसोई के बर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन संलग्न परिशिष्ट –एफ के अनुसार होने पर ही स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित स्पेशिफिकेशन की पात्रता पूर्ण नहीं करने पर निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
23. निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र के संलग्न निविदा शर्तों की पालना नहीं करने पर अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
24. सामग्री की आपूर्ति दिए गए स्पेशिफिकेशन के अनुसार न किए जाने की स्थिति में बोलीदाता से किए गए अनुबंध को निरस्त कर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला करौली होगा।
26. स्वीकृत निविदा की दरे 31 मार्च 2026 या 1 वर्ष या निर्देशानुसार तक मान्य होंगी या राज्य सरकार के आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षर कर्ता के निर्णय के अनुसार मान्य होगी एवं भविष्य में भी सफल निविदा दाता को अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेशों की पालना करनी होगी।
27. विनिर्देश :- (1) प्रयुक्त की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, ड्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.ओ./आई.एस.आई. विनिर्देश के अनुसार अपेक्षा की गई हो, वहाँ उन मदों को पूर्णरूप से उन विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए तथा उन पर वह मार्क होना चाहिए। (11) वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ अनुमोदित मानकों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य सामग्रीयों के मामले में, जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित मानक न हो, वहाँ अन्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु प्रदाय किया जाएगा।
28. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान आपूर्ति की गई सामग्री उत्तम गुणवत्ता की नहीं होने पर स्वीकार नहीं जाएंगी। निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
29. अस्वीकृत सामग्री को निविदादाता इस आशय की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बदले केता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

30. अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गदवे फॉम बेर्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चद्दर, रसोई के बर्तन इत्यादि हेतु स्पेसिफिकेशन Annexure - F ;परिशिष्ट-एफ में वर्णित है। निविदादाता को उक्त स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए दरें प्रस्तुत करनी होंगी। उक्त स्पेसिफिकेशन में किसी भी प्रकार के बदलाव का अधिकार क्रय समिति में निहित होगा।

31. सफल निविदादाता को कार्य आदेश देने की तिथि से 10 दिवस के भीतर कौली जिले में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों में अनावर्तक सामान की आपूर्ति करनी होगी एवं संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा बताये गये स्थान पर स्थापित करवाना होगा।

32. उपरोक्त नियमों के अलावा राज्य सरकार के किसी आदेश, परिपत्र, नियम एवं अधिनियम की पूर्ण पालना से संतुष्ट नहीं होने पर बोली निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा समिति को रहेगा।

33. किसी भी निविदा को अस्वीकार करने या सभी निविदा को अस्वीकार करने एवं बिना कारण बतायें निरस्त करने के समस्त अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित है।

34. संस्थान निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी।

35. नमूना परीक्षण उपापन समिति द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व की जायेगी।

36. नमूना परीक्षण के दौरान सामग्री का डेमो या सैम्प्ल प्रस्तुतीकरण करना बोलीदाताओं के लिए आवश्यक होगा और ऐसा प्रस्तुतीकरण करने के लिए किसी प्रकार का पुनर्भरण या खर्च यथा गाड़ी भाड़ा या मजदूरी इत्यादि इस कार्यालय द्वारा अदा नहीं किया जायेगा। समस्त प्रस्तुतीकरण बोलीदाता स्वयं के खर्च पर करेगा। सैम्प्ल प्रस्तुत न करने वाले बोलीदाता की बोली अस्वीकार कर दी जायेगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सैम्प्ल जांच के लिए सामग्री का कवर हटाकर अन्दर के भैटिरियल यथा फाईबर/फोम एवं ऑर्थोफाईबर होने की जांच भी बोलीदाता को स्वयं ही करवानी होगी जिसके लिए बोलीदाता मना नहीं कर सकेगा और साथ ही यह भी विदित रहे कि ऐसी जांच करने पर गहे का कवर हटाने के लिए उसपर की गई सिलाई आदि को खोला जाने की स्थिति में जांच उपरान्त उसे वापिस सिलाईबन्द किये जाने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी व इस प्रक्रिया में यदि गद्दे का कवर किसी भी प्रकार से डैमेज या कटता-फटता है तो उसकी भरपाई इस कार्यालय द्वारा नहीं की जायेगी। निविदा सामग्रियों का क्रय करने के लिए सैम्प्ल परीक्षण सर्वोच्च मापदण्ड होगा उसके पश्चात ही दर का आकलन किया जायेगा।

37. सफल घोषित निविदादाता/निविदादाताओं को निविदा सामग्रियों के एक-एक डेमो या सैम्प्ल संबंधित जिला कार्यालयों में रिकार्ड हेतु भी उपलब्ध करवाने होंगे जिसका समायोजन कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले निविदा सामग्री में से किया जा सकेगा।

38. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा में न्यूनतम दर वाले बोलीदाता की दरों को स्वीकार किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा।

39. दरें FOR जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौली में होगी, जिसकी अधिकृत सूची सम संपूर्ण विवरण कार्यादेश के समय उपलब्ध करवायी जायेगी। फर्म की बोली स्वीकृत होने पर कौली जिले में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गदवे फॉम बेर्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चद्दर एवं रसोई के बर्तन इत्यादि उपलब्ध कराना होगा तथा जिला कार्यालय के संबंधित अधीनस्थ छात्रावासों में स्थापित करना होगा एवं वाराण्टी पीरियड में सर्विस कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौली के अधीनस्थ कौली जिले के समस्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के राजकीय छात्रावासों में उपलब्ध करानी होगी।

40. निविदा कमेटी अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गदवे फॉम बेर्ड आर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चद्दर, रसोई के बर्तन इत्यादि निविदा हेतु कॉम्बो सामग्री के लिये साथ में (L-1) न्यूनतम राशि रहने वाले फर्म को या अलग-अलग सामग्री की न्यूनतम राशि (L-1) रहने वाले फर्मों को क्रय आदेश देने के विवेकाधिकार के लिये अधिकृत है।

41. सफल बोलीदाता को निविदा सामग्री की आपूर्ति पश्चात इस कार्यालय में बिल प्रस्तुत करते समय बिल में जी.एस.टी. की राशि पृथक से दर्शानी होगी।

42. इस कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं एवं मेरे/हमारे द्वारा भलीभांति पढ़ा जाकर एवं सभी शर्तों को समझकर इन शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण पत्र में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये हैं।

मैं निविदा सूचना एवं उपरोक्त प्रपत्र में वर्णित सभी भारती को मानने हेतु सहमत हूँ।

हस्ताक्षर संवेदक
मय सील,
मोबाइल नं.

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- a. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti&competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- e. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- g. disclose conflict of interest, if any; and
- h. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest- A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations-

1- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process, or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process- Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved- However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired $\frac{1}{4}$ or is proposed to be hired $\frac{1}{2}$ by the Procuring Entity as engineer&in&charge/ consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ----- for procurement of ----- in response to their Notice Inviting Bids No----- Dated----- I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012- that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of bidder

Name :

Designation:

Address

Exure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Director Social Justice and Empowerment Department, Jaipur, Rajasthan.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, SJED, Jaipur, Rajasthan.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable-

(2) The officer to whom an appeal is filed under para 1/1½ shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para 1/1½ fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para 1/2½, or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para 1/2½ or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be-

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- a) An appeal under para 1/1½ or 1/3½ above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal-

32

Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee

- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative-

(6) Fee for filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non&refundable-
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned-

(7) Procedure for disposal of appeal

- a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing-
- b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - I. hear all the parties to appeal present before him; and
 - II. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter-
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order 10 to the parties to appeal free of cost-
- d) The order passed under sub&clause 1/2 above shall also be placed on the State Public Procurement Portal-

(3-2)

Exure D: Additional Conditions of Contract

(1) Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- I. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- III. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above-

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction or errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

(2) Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- I. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document- It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- II. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- III. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order- However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply- If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

(3) Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award ^{1/2} in case of procurement of Goods

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted- However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

FORM No- 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency In Public Procurement Act, 2012

Appeal No -----of----- Before the ----- (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

- a. Name of the appellant:
- b. Official address, if any:
- c. Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

- a.
- b.
- c.

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order ^{1/2}enclose copy^{1/2}, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

(Supported by an affidavit^{1/2}

7. Prayer: -----

Place -----

Date -----

Appellant's Signature

3-2

Annexure-E(I)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा
नियम 48 (vii) SR-11

मैं / हम..... घोषणा करता हूं/ करते हैं कि मैंने /हमने जिन मालों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका /उनके मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूं/ हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से समर्पित(जब्त) किया सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम..... घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है । यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर रांगों को पूर्ण या आंगों के रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

बिडदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

बिडदाता का नाम.....

पूर्ण पता

टेलीफोन नम्बर (निवास)

(कार्यालय).....

3-2

Annexure-E (ii)

काली सूची (Black Listed) में नहीं होने सम्बन्धि भापथ पत्र
(100 रुपए के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पर)

श्रीपुत्र श्रीजाति

.....निवासीतहसील.....जिला

.....राज्यप्रो. मै

.....यह शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :—

1. यह है कि मेरी फर्म कोई भी किसी तरह से ब्लेक लिस्टेड नहीं है।
2. यह है कि मेरी फर्म पूर्व में भी किसी तरह से ब्लेक लिस्टेड से कोई संबंध नहीं है तथा न ही किसी तरह से मैंने फर्म के नाम से गलत उपयोग नहीं किया।
3. यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं सत्य व सही है मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो विभाग नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सक्षम होगा।
4. उक्त सूचनायें सही हैं एवं सत्य हैं जिसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी है व रहेगी।

हस्ताक्षर

तस्दीक :—

मैं शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम पद मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही हैं। परमात्मा मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर

Annexure-E(iii)

शपथ पत्र

श्री/ श्रीमति/ सुश्री पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री
 निवासी तहसील जिला
 राज्य प्रो. मै

यह शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि :-

- 1- यह है कि निविदा प्रक्रिया के निर्णय से संबंधित कार्मिकों/अधिकारीयों तथा क्य आदेश देने वाले अधिकारियों/ कार्मिकों/ लोकसेवकों/ संविदाकार्मिकों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और न ही कोई मेरे परिजन है।
- 2- यह है कि मैंने इन अधिकारीयों से न ही किसी तरह से कोई संबंध है तथा न ही किसी तरह से मेरे ऊपर आपसी धोखाधड़ी, लड़ाई का कोई मामला दर्ज नहीं है।
- 3- इस कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 03/2025-2026 में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं एवं मेरे/ हमारे द्वारा भलीभांति पढ़ा जाकर एवं सभी नियम एवं शर्तों को समझकर इनको स्वीकार किये जाने के प्रमाण पत्र में मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- 4- यह है कि उक्त सूचनायें सही हैं एवं सत्य हैं समस्त जिम्मेदारी मेरी है व रहेगी।

हस्ताक्षर

तस्दीक :-

मैं शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तमाम पद मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही हैं। परमात्मा मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर

Annexure F

क्रय किये जाने वाले अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गदवे फॉम बेस्ज आर्थोफाइबर, दरी बेड, कम्बलत्राकिया, तकिया कवर, खेस, बेडशीट चद्वर, रसोई के बर्तन इत्यादि के लिए स्पेशिफिकेशन
तकनीकी स्पेशिफिकेशन

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	निर्धारित स्पेशिफिकेशन
1	Metal (Iron) Bed with Plywood top	<p>Structure of Metal bed frame including legs: MS Pipe Thickness 38mmx38mm Overall length of Bed – 6 Feet Height of Bed – 3 Feet Thickness of support Panel (in mm) – 0.10mm Paint/finish of MS Parts – Powder Coated paint colour of bed (steel frame); Black Warranty : 01 year or above Number of support for ply – 3 support pipe (Excluding Frame) Overall Weight of Bed – 18 kg or higher (Excluding Plywood Weight) Ply Thickness – 12mm or higher and water proof</p> <p>नोट –</p> <p>01. प्लंग के चारों पायों के दोनों तरफ अतिरिक्त 1.5"X1.5" लोहे की पत्ती लगाई जावे। 02. प्लंग के पाये के नीचे लकड़ी/प्लास्टिक का गुटका एवं संतुलन का विशेष ध्यान रखा जावे। प्लंग का वजन 500 (+)(-) ग्राम हो सकता है।</p>
2	<u>Orthopedic Mattress</u>	<p>Make: Godrej/Sleepwell/Kurl on or equivalent Dimensions (Tolerance $\pm 15\text{mm}$): 3X6 Feet Type: Orthopedic Mattress Thickness – 4 inch or higher Quilting: One Side Quilting (Single Sided) Thickness of Quilting ($\pm 2\text{ mm}$): 8mm Warranty : 5 Year or Above Weight : 10 kg or Above ISI/ISO Certified नोट – 01- गदवे के एक साईड फॉम H R एवं दूसरी साईड हार्ड ऑर्थोपेडिक होनी चाहिए जिसकी न्यूनतम Density 32 हो।</p>
3	<u>Pillow</u>	<p>Make : Bombay dyeing/Godrej/Sleepwell or equivalent Length : 60 cm Width : 40 cm Weight : 700-800 gm (Around) Height of pillow at center : 170 millimeter Body fabric Cloth plain weave Polyester cotton/Synthetic Cotton</p>
4	<u>Blanket</u>	<p>Mink Marino Blanket Wash Care : Hand Wash Pattern : Printed Quality : High Quality (soft and comfort) Size : 152cmX250cm Weight : 2.4 kg or above Four side are bounded with Double Interlock stitching high quality fabric</p>

<u>5</u>	Khesh	100% cotton fibre made by combed yarn All fast ness properties should be good Fabric should be not shrink after wash Size : 150cmX250cm Weight : 1.2 kg or Above
<u>6</u>	<u>Bedsheet</u>	Printed Cotton bedsheets 100% cotton fibre made by combed yarn All fast ness properties should be good Fabric should be not shrink after wash GSM : minimum 120 gsm Size : 152cmX230cm Weight : 0.7 kg or Above
<u>7</u>	Pillow Cover	Printed Cotton bedsheets 100% cotton fibre made by combed yarn All fast ness properties should be good Fabric should be not shrink after wash GSM : minimum 120 gsm Size : 42cmX65cm
<u>8</u>	Durry	100% cotton fibre made by combed yarn All fast ness properties should be good Fabric should be not shrink after wash GSM : minimum 120 gsm Size : 122cmX185cm

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure G

राजस्थान सरकार

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली

वित्तीय बोली प्रारूपfor BOQ Sample Purpose Only(RATE NOT NEED TO DISCLOSE HERE ,ONLY IN BOQ IN EXCEL)

अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेर्स्ड ऑर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेड्रीट चददर, रसोई के बर्तन इत्यादि क्रय एवं आपूर्ति

1.- ई- दर संविदादाता का नाम :
पूरा पता :
2.- सम्बोधित : कार्यालय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली
3.- संदर्भ: ई- दर संविदा सूचना क्रमांक 03/2025-2026
4.- सामग्री का नाम : अनावर्तक सामान यथा पंलग आईरन विथ प्लाई, गद्दे फॉम बेर्स्ड ऑर्थोफाईबर, दरी बेड, कम्बल, तकिया, तकिया कवर, खेस, बेड्रीट चददर, रसोई के बर्तन इत्यादि क्रय एवं आपूर्ति

S. no.	Item Description (As per Annexure F)	Unit	Rate per unit (inclusive of all govt. taxes,Transportation Charges, other levies, duties including GST) In number	Rate per unit (inclusive of all govt. taxes,Transportation Charges, other levies, duties including GST) in words	Warranty (in years) only for s.no. 1 and 2
1	2	3	5	6	7
1	पंलग आईरन विथ प्लाई टॉप	Nos			
2	गद्दे फॉम बेर्स्ड ऑर्थोफाईबर	Nos			
3	बेड्रीट चददर	Nos			
4	तकिये कवर	Nos			
5	तकिये	Nos			
6	खेस	Nos			
7	कम्बल	Nos			
8	दरी बेड	Nos			
Grand Total					
महायोग (शब्दों में)					

Note:- 01- उक्त निविदा के साथ तकनीकी एवं अन्य सभी शर्तों से हम सहमत नहैं एवं पालना करने के लिए बाध्य हैं।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील

32

Annexure- 'H'

Annual Turnover Statement

The annual turnover of M/s. for the past three years are given below and certified that the statement is true and correct.

Sr. No.

(Rs)	Financial Year	Turnover in Rs.	
		Sr. No.	
1.	2022-23	_____	
2.	2023-24	_____	
3.	2024-25	_____	
	Total -	Rs. _____ Lac	
Three Year Annual Average turnovers per annum -		Rs. _____ Lac	

Date:
Place:

Signature of Auditor/Seal
Chartered Accountant
 (Name & Address)
 Membership No. :
 Tel. No. :
 Mob. No.:

(32)

AGREEMENT

An agreement made this..... day of between (hereinafter called "the approved supplier", which expression shall, executors and admisistratos) of the one part and the Goverment of the State of Rajasthan (hereinafter called "The Goverment" which expression shall,) where the contex so admits, be deemed to inclusde his sucessors in office and assigns of the other part.

2. whereas the approved supplier has agredd with the Goverment to supply to the DISTRICT PROBATION AND SOCIAL WELFARE OFFICE, SJED, KARAULI of the state of Rajasthan. all those articles set forth in the schedule appended hereto in the manner set forth in the conditions of the tendere and contract appended herewith and at the rates set forth in column..... of the said schedule.

3. And whereas the approved supplier has deposited a sum of Rs..... in

- (1) Cash/Bank Draft/Challan No./ Banker Cheque No. Dated by Bank
- (2) Post Office Savings Bank Pass Bool duly hypothecated to the Departmental authority.
- (3) National Savings Certificates/Defence Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, or any other script/instrument under National Saving Schemes for promotion of small savings, if the same can be pleased under the relevant rule. (The certificates being accepted at surrender value) as security for the due performance of the aforesaid agreement whiich has been formally transferred to the departmental authority.
- (4) Bank Guarantee No..... Dated..... amounting to rupees..... issued by the

4. Now these Presents withness :

- 1. In consideration of the payment ot be made by the Goverment through the DISTRICT PROBATION AND SOCIAL WELFARE OFFICE, SJED, KARAULI at the rates set forth in the Schedule hereto appended the approved supplier will duly supply the said articles set forth in and thereof in the manner set forth in the conditions of the tender and contract.
- 2. The conditions of the tender and contract for open tender enclosed to the tender notice No. dated..... and also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on the parties executing this agreement.
- 3. Letters Nos. received from tendere and letters Nos..... issued by the Goverment and appended to this agreement shall also from part of this agreement.
- 4.(a) The Goverment do hereby agree that if the approved suplier shall duly supply the said articles in the manner aforesaid observe and keep the said terms and conditions, the Govermnet will through the District Treasury Officer, Bikaner pay or cause to be paid, to the approved supplier at the time and the manner set forth in the said conditons, the amout payable for each and very consignment.
- (b) The mode of Payment will be as soecified below :-

- 1.

2.
3.

5. The delivery shall be effected and completed within the period noted below from the date of supply order :-

No.	Condition	L.D.%
a	Delay up to one fourth period of the prescribed period of delivery and completion of subject matter of procurement	2.5%
	Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period of delivery and completion of subject matter of procurement.	5.0%
	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period of delivery and completion of subject matter of procurement.	7.5%
	Delay exceeding three fourth of the prescribed period of delivery and completion of subject matter of procurement	10.0%

6.(1)(i) In Case of extension in the delivery period with Liquidated damages, the recovery shall be made on the basis of following percentages of value of stores which the tenderer has failed to supply :--

- (a) Delay upto one fourth period of the prescribed delivery period
- (b) Delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period.
- (C) Delay exceeding one half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period.
- (d) Delay exceeding three fourth of the prescribed delivery period.

Note : (i) Fraction of a day in reckoning period of delay in supplies shall be eliminateds if it is less than half a day.

(ii) The maximum amount of agreed extension of time in completion of contractual supply on account of occurence of any hinderances, he shall apply in writing to the authority which had placed the supply order, for the same immediately on occurence of the hinderence but not after the stipulated date of completion of supply.

(2) Delivery period may be extended with or without liquidated damages if the delay in the supply of goods is on account of hinderences beyond the control of the tenderer.

7. All disputes arising out of this agreement and all questions relationg to the interpretation of this agreement shall be decided by the Goverment and the decision of the Goverment shall be final.

In witness whereof the parties hereto have set their hands on the day of 2025.

Signature of the approved supplier.

Signature for and on behalf of Governor

Date :

Date :

Witness No. 1

Witness No. 1

Witness No. 2

Witness No. 2

32

